नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम जारी हुये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रभाती देवी बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा क्र.नं. - 121/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। प्रकरण में वकील वादिया की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 09/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएम...	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
121 / 2023	2023 / ..12	22.08.2023	09.01.2024

उन... प्रकरण

प्रभाती देवी पत्नी हणमान आयु साल जाति जाट निवासी षिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादीया–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीया अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

Signature Not Verified

:: निर्णय ::

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम शिमारला जागीर पटवार

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हल्का शिमारला जागीर भू. अभि. निरीक्षक महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 980, 991, 992 कुल किता–3 कुल रक्बा 2.5100 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 989 रक्बा 0.8300 हैक्टर में हिस्सा 71/332 की खातेदारी में वादिया का नाम मु. चौथी देवी पत्नी हणमान दर्ज है जबकि वादिया का वास्तविक नाम प्रभाती देवी पत्नी हणमान है। वादिया के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड आदि में भी वादिया का नाम प्रभाती देवी ही अंकित है परन्तु कृषि भूमियों की खातेदारी में वादिया का नाम मु. चौथी देवी दर्ज हो गया जो वादिया को घर पर बोलते नाम चौथी देवी पुकारने के कारण दर्ज हो गया। जिसके कारण वादिया को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं किसान केडिट कार्ड आदि बनवाने में परेशानी हो रही है। इसलिए कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादिया का नाम मु. चौथी देवी के स्थान पर प्रभाती देवी घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादिया ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उपरोक्तानुसार सही दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो अदालत में दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत करके आदेश लाने हेतु कहा गया है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वकील वादिया ने वादपत्र पेश कर राजस्व ग्राम शिमारला जागीर भू. अभि. निरीक्षक महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 980, 991, 992 कुल किता–3 कुल रक्बा 2.5100 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 989 रक्बा 0.8300 हैक्टर में हिस्सा 71/332 की खातेदारी में वादिया का नाम मु. चौथी देवी पत्नी हणमान के स्थान पर प्रभाती देवी पत्नी हणमान घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। वाद वास्ते घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीया द्वारा प्रस्तुत ... पत्र ... दर्ज रजिस्टर किया ... नोटिस तलब जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण ... किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध

09/01/24

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2163/भू.अ./23 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का सिमारला जागीर की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि परिवादी का वास्तविक नाम प्रभाती देवी है तथा समस्त दस्तावेजात में भी यही नाम दर्ज होने तथा ग्राम सिमारला जागीर की जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 के खाता संख्या 245, 307, 311 के खसरा नम्बर 980, 989, 991, 992, 986, 988 के खातदेार हणमान पुत्र खांगाराम जाति जाट की विरासत के नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 11.02.1998 द्वारा खातेदारी रामचन्द्र, सुरजाराम, राजूराम पिता हणमान, मु. चौथी बेवा हणमान के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से वादीया का नाम चौथी देवी पत्नि हणमान के स्थान पर प्रभाती देवी पत्नि हणमान शुद्ध किये जाने की अभिशंषा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। वकील वादीया ने वादिया के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादीया प्रभाती देवी पत्नि हणमान का एवं साक्ष्य वादीया गवाहान् में रामअवतार सिंह पुत्र जयनारायण सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादीया ने वादपत्र में वादीया एवं गवाह के मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीया की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाते की पासबुक की प्रति, मृत्यु [illegible] हनुमान, ग्राम पंचायत सिमारला जागीर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, तहसील[illegible]पुर की पटवारी हल्का सिमारला जागीर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर [illegible]जवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादीया के मुख्य परीक्षण में पेश वादीया व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम शिमारला जागीर भू. अभि. निरीक्षक महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 980, 991, 992 कुल किता–3 कुल रक्बा 2.5100 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 989 रक्बा 0.8300 हैक्टर में हिस्सा 71/332 की खातेदारी में वादिया का नाम मु. चौथी देवी पत्नी हणमान दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है जबकि वादीया के अन्य दस्तावेजात् यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाते की पासबुक की प्रति, ग्राम पंचायत सिमारला जागीर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का सिमारला जागीर की जॉच रिपोर्ट में भी वादीया का नाम प्रभाती देवी पत्नि हणमान दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसकी ताईद वादीया के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीया व साक्ष्य गवाह में प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर चौथी देवी पत्नि हणमान के स्थान पर प्रभाती देवी पत्नि हणमान शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूरस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम शिमारला जागीर भू. अभि. निरीक्षक मह[illegible]ल श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृर्षि [illegible] खसरा [illegible] 980 [illegible] 992 कुल किता–3 कुल रक्बा 2.5100 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एवं खसरा [illegible]बर 989 रक्बा 0.8300 हैक्टर में हिस्सा 71/332 की खातेदारी में वादिया का नाम मु. चौथी देवी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
09/01/24

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हणमान के स्थान पर **प्रभाती देवी पत्नी हणमान** घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested